पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 03 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–31.03.2024

दिनांक 30/31.03.2024 को थाना विकासनगर 02, गुडम्बा 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना बंथरा 02, गोसाईगंज 02, गुडम्बा 01, महानगर 01, तालकटोरा 01 में अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 03 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में कुल 07 गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना निगोहां–दिनांक 30.03.2024 को एस0आई0 श्री राजेश कुमार दीक्षित थाना निगोहां द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01–नन्हू पुत्र स्व0 दुलारे निवासी ग्राम कमाखेड़ा मजरा दयालपुर थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ को बड़े बीरनखेड़ा नहर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना निगोहां पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना निगोहां–दिनांक 30.03.2024 को एस0आई0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना निगोहां द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01–सर्वेश पुत्र लल्लू निवासी ग्राम रानीखेड़ा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को रानटौली तिरोहे से भट्टे को जाने वाली रोड पर तिराहे के समीप से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना निगोहां पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

गैंगैस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना दुबग्गा–दिनांक 30.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री अभिनव कुमार वर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना दुबग्गा द्वारा अभियुक्त 01. नमन मिश्रा पुत्र शिव मनुज मिश्रा निवासी मूल पता ग्राम हैरानी थाना बन्थरा जनपद लखनऊ हाल पता सत्यम सिटी डिप्टी खेडा थाना पारा लखनऊ उम्र 20 वर्ष (गैंग लीडर) 02. संजय बाजपेयी पुत्र स्व0 शिव नरायण बाजपेयी निवासी मूल पता मकान नं0 582 मोतीनगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव हाल पता सत्यम सिटी किराये का मकान थाना पारा लखनऊ उम्र 62 वर्ष 03. तरुण बाजपेयी पुत्र अटल बाजपेयी निवासी ग्राम सदना जिला सीतापुर हाल पता हर्ष नगर भपटामऊ ग्राम सरोसा थाना पारा लखनऊ उम्र 22 वर्ष 04. जमील पुत्र नन्हकू निवासी ग्राम बछौली थाना औरास जिला उन्नाव उम्र 42 वर्ष 05. दिव्यांश भारती उर्फ अरुण उर्फ केके पुत्र राकेश भारती निवासी बादशाह खेडा आलमनगर थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र 20 वर्ष 06. ऋषिकान्त तिवारी पुत्र रामखिलावन तिवारी निवासी मूल पता बढई जलालपुर थाना मिश्रिख सीतापुर हालपता–सोनाविहार कालोनी आलमनगर प्लाट नं0 20 थाना पारा लखनऊ उम्र 34 वर्ष 07. सरवन यादव पुत्र स्व0 छोटेलाल यादव निवासी मडिहापुर थाना औरास जनपद उन्नाव उम्र–40 वर्ष 08.राजा मिश्रा उर्फ मनीष मिश्रा पुत्र राम सूरत मिश्रा निवासी मकान नं0 356/318/18 अशरफ नगर राजाजीपुरम कोतवाली तालकटोरा लखनऊ उम्र 24 वर्ष व 09. विशाल पुत्र मंजीत पाल निवासी मकान नं0 53/96 सी ब्लाक राजाजीपुरम थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र 29 वर्ष के विरुद्ध **थाना दुबग्गा पर 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।**

<u>थाना बीबीडी</u>–दिनांक 31.03.2024 को थाना बीबीडी द्वारा बताया गया कि वादी श्री गुड्डू पुत्र रमेश्वर निवासी–बरेठी पोस्ट गदिया थाना देवा जनपद बाराबंकी ने थाना बीबीडी पर सूचन दिया कि वादी का भाई सर्वेश कुमार उम्र करीब 28 वर्ष दिनांक 29.03.2024 को रात्रि में करीब 11.00 बजे आस–पास एक बर्थडे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद अपने घर बरेठी वापस आ रहा था कि तभी किसान पथ पर जुग्गोर रेगुलेटर के पास वादी के भाई के मोटरसाइकिल, पैशन प्रो में किसी अज्ञात चार पहिया वाहन के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर जोरदार टक्कर मार दिया और मौके से फरार हो गया, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार वादी का भाई सर्वेश कुमार व वादी के भाई का साथी अभिषेक चौहान पुत्र घसीटे चौहान निवासी–मूर्तजानगर थाना जगीराबाद जनपद बाराबंकी गंभीर रूप से घायल हो गये। उक्त दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से इलाज लिए डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों ने वादी के भाई सर्वेश कुमार उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया व उसके साथी अभिषेक चौहान उपरोक्त जो कि घायल अवस्था में इलाज के बाद उसके परिजन उसे घर लेकर चले गये। वादी के भाई का शव डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मर्चरी में रखा हुआ है। **इस सूचना पर थाना बीबीडी पर मु0अ0सं0 42/2024 धारा 279/304ए/337/338 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना सुशान्तगोल्फ सिटी</u>–दिनांक 31.03.2024 को थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री अजीत प्रताप सिंह यादव पुत्र श्री राम सुमिरन यादव निवासी–ग्रीन सिटी, हुण्डई सर्विस सेंटर के पीछे अर्जुनगंज, थाना सुशान्तगोल्फ सिटी लखनऊ ने थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि वादी अपने भाई व परिवार सहित उक्त आवास पर पिछले करीब 12 वर्षो से निवास करता है। वादी व वादी के भाई क्रमशः बाल विकास सेवा एंव पुष्टाहार विभाग व परिवहन विभाग जनपद लखनऊ में नौकरी करते हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई करते हैं। वादी का मूल आवास ग्राम व पोस्ट भिलवन थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी है। होली के पर्व पर वादी दिनांक 25.03.202 को दिन रविवार की सायं के करीब अपने पैतृक गांव बाराबंकी जनपद में अपने परिवार सहित चला गया था। दिनांक 27.03.2024 को वादी के छोटे भाई के साढू जो कि मोहनलालगंज स्थित परसैनी गांव के निवासी थे उनको बिजली का करंट लगने से आकस्मिक मृत्यु हो गयी। जिसमें खबर मिलते ही वादी का पूरा परिवार दिनांक 27.03.2024 की देर रात्रि तक सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में उपस्थित रहा और फिर मध्य रात्रि में वादी का पूरा परिवार अपने पैतृक गांव चला गया। दिनांक 28.03.2024 को सुबह में पोस्टमार्टम कराने व डेड बाडी प्राप्त करने हेतु वादी व उसके परिवारीजन हॉस्पिटल पहुंच गये। दोपहर में कुछ जरूरत पड़ने पर वादी ने अपने पुत्र शुभम यादव को लखनऊ स्थित उक्त घर पर भेजा और वादी के पुत्र ने मेन गेट का ताला खोलकर जैसे ही ग्राउण्ड फ्लोर की बढ़ा तो देखा कि दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है और सारा सामान बिखरा पडा है। बेडरूम में रखी आलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही वादी अपने पूरे परिवार सहित घर पर पहुंचा और चेक किया तो पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर में घुसकर दरवाजे का ताला व आलमारी का लाक तोड़कर आलमारी में रखे सरकारी अभिलेख और अन्य सामान सामान व वादी के बड़े भाई जो कि परिवहन विभाग में हैं उनके रखे हुए 9,000/–रूपये नगद व वादी के दूसरे नंबर के भाई के गुल्लक में रखे करीब 63,000/–रूपये नगद व वादी के रखे हुए 16,000/–रूपये नगद को चोरी कर लिया गया है। वादी ने अपने घर पर लगे कैमरे को चेक किया तो कैमरे में सही रिकार्ड कुछ नहीं मिला। **इस सूचना पर थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 160/2024 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**